भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2955

दिनांक 13.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

आप्रवासन नीतियों का भारतीयों पर प्रभाव

2955 श्री जोस के.मणि:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रमुख गंतव्य देशों में आप्रवासन और कार्य परमिट संबंधी नीतियों में हाल में किए गए परिवर्तनों के भारतीय पेशेवरों एवं विद्यार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी देश–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान यह मामला उठाया गया है; और

(घ) ऐसी नीतिगत परिवर्तनों से प्रभावित भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) से (घ) विदेश मंत्रालय सुरक्षित, व्यवस्थित और वैध आवाजाही और प्रवासन को बढ़ावा देने और बेईमान एजेंटों और अवैध आप्रवासन नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके अवैध आप्रवासन को संबोधित करने में प्रमुख गंतव्य देशों के साथ लगातार जुड़ा हुआ है।

आव्रजन और वर्क परमिट नीतियों में बदलाव के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान विदेशी सरकारों के साथ उठाया जाता है। मंत्रालय ने 25 देशों के साथ प्रवासन और आवाजाही

भागीदारी करार, श्रम आवाजाही करार और श्रम कल्याण करार पर बातचीत की है, ताकि भारतीय श्रमिकों के लिए वैश्विक रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके और साथ ही उनके श्रम अधिकारों की रक्षा की जा सके, अनियमित प्रवासन को रोका जा सके और कौशल विकास का समर्थन किया जा सके। इन करारों के आधार पर, श्रमिकों के कल्याण और संरक्षण से संबंधित मामलों को संबंधित देशों के साथ संस्थागत तंत्र के माध्यम से नियमित रूप से उठाया जाता है।
